



फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम-उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल

सं सं० 32/24

क्र०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
7/7/20		पत्रावली पेग डी पत्रावली वी कादेशागत दिनांक 28/7/20 को पेग ५ 	
28/3/25		पत्रावली पेग डी । पत्रावली में प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अविद्यमान की एक प्रतीप वदत सुनी गई । पत्रावली वास्ते आदेश 04/08/25 का पेग छे 	
04/8/25		पत्रावली वास्ते आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा प्रा० पत्र छेड पेग डी पत्रावली के अवलोकन व वदत प्रगत के आधार अंतर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा को भूल वाद के निस्तारण तक क-फर्द किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है पत्रावली फेलन शुमार होना दफतर दाखिल हो दी गम्बर से प्रकटी 